न्यायालय : अनन्य वि ोश न्यायाधी ा, उत्पाद (प्रथम), समस्तीपुर, बिहार

ए0बी0पी0 नं0—1544 / 2026
दलसिंहसराय थाना कांड सं0—281 / 2026

सुदी ा कुमार उर्फ एंथोनी .... आवेदक
बनाम
बिहार सरकार .... विपक्षी।

उपस्थितःबसंत कुमार
वि ोश न्यायाधी ा, उत्पाद (प्रथम)
आदे ा दिनांक 30.06.2026

आवेदक अभियुक्त **1. सुदी ा कुमार उर्फ एंथोनी,** पे0—राम नरेश महतो की ओर से चकमेहसी थाना कांड सं0—90 / 2026, अंतर्गत धारा—30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम—2022 के प्रसंग में गिरफ्तारी के भय से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किए हैं जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पक्ष को दी गई है। अभिलेख प्रस्तुत किया गया। वाद पुकारा गया। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विपिन कुमार का कथन है कि आवेदक निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह पूसा थाना कांड सं0—123 / 24, 45 / 20, 50 / 23, 111 / 23, 17 / 20, 125 / 19, उत्पाद वाद सं0—90 / 19, 237 / 20, धनकुण्डा 26 / 24 में अभियुक्त है और सभी वादों में वह जमानत पर मुक्त है। उसका नाम चौकीदार के स्वीकारोक्ति बयान में आया है। सिवाय इसके अन्य कोई आरोप नहीं है। उसे पुलिस से गिरफ्तारी का भय है। वह अग्रिम जमानत के शर्तों को मानने के लिए तैयार है। उसके फरार होने की संभावना नहीं है। अतः अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा—76(2) के अंतर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्राथमिकी सूचक लाल बच्चन प्रसाद, स0अ0नि0 के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरुद्ध चकमेहसी थाना कांड सं0—90 / 26, दिनांक 21.05.26, धारा—30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम—2022 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्राथमिकी सारांश यह है कि ''सूचक को पुलिस बल के साथ घटनातिथि को रात्रि गश्ती के दौरान समय करीब 01:30 बजे में गुप्त सूचना मिली कि एक उजले रंग के स्कॉर्पियो गाड़ी पर लदे दो शराब कारोबारी सुदीश कुमार उर्फ एंथोनी, नीतीन कुमार अवैध विदेशी शराब की खेप उतारने वाले हैं। सूचना

की सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए सूचना के आलोक में स्कॉर्पियो का पीछा करने पर समय करीब 04:00 बजे करुआ चौक के समीप पुलिस बल को

न्यायालय : अनन्य वि ोश न्यायाधी ा, उत्पाद (प्रथम), समस्तीपुर, बिहार

ए0बी0पी0 नं0—1460 / 2026
चकमेहसी थाना कांड सं0—90 / 2026

लगातार

30.06.2026 देखकर स्कॉर्पियो रोक कर उसमें सवार दो व्यक्ति पुलिस बल के पीछा करने के उपरांत भी जंगल—झाड़ी का फायदा उठाकर भाग गए। इतना सुबह आम आदमी के नहीं रहने के कारण साथ के बल का तलाशी नियमों का पालन करते हुए तलाशी लेने पर स्कॉर्पियो रजि0 नं0—बीआर07एभी—6986 में से क्रमशः मात्रा 171 लीटर एवं 17.280 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया।

आवेदक के उपर वाद में शराब का परिवहन कर रहे वाहन स्कॉर्पियो रजि0 नं0—बीआर07एभी—6986 में सवार होने का आरोप लगाया गया है जो कि पुलिस बल द्वारा पीछा करने पर मौके वारदात पर वाहन छोड़कर जंगल—झाड़ी का फ़ायदा उठाकर भाग गए हैं। उनके द्वारा छोड़े गए वाहन से कुल मात्रा 188.280 लीटर अवैध विदेशी शराब की बरामदगी है जिसकी जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है। उसका समान प्रकृति के वादों में 09 आपराधिक इतिहास है। बिहार में पूर्ण शराब—बंदी है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा—76(2) के अंतर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। वाद अनुसंधान की स्थिति में है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है। अतएव अभियुक्त **1. सुदी ा कुमार उर्फ एंथोनी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

विशेष न्याया0, उत्पाद (प्रथम),
समस्तीपुर